

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

आदेश

पत्रांक-03/योजना-14/2001(पार्ट).....5084...../पटना, दिनांक 08/10/2013

ओवर लोडेड एवं अनियमित वाहनो विशेषकर ओवरलोडेड माल वाहकों के परिवहन चेक-पोस्ट, महात्मा गाँधी टॉल प्लाजा, हाजीपुर (वैशाली) पर जाँच/रोकथाम हेतु टॉल प्लाजा पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों/कर्मियों के कार्य-कलापों के निरीक्षण हेतु परिवहन विभाग (मुख्यालय) में पदस्थापित निम्नलिखित पदाधिकारियों को सप्ताह के निम्न कार्य दिवस के अनुसार प्रतिनियुक्त किया जाता है:-

क्रम सं०	दिन	प्राधिकृत पदाधिकारी
1	2	3
1	10.10.2013	विशेष कार्य पदाधिकारी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना।
2	11.10.2013	अपर परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना।
3	12.10.2013	विशेष सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना।
4	13.10.2013	संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना।
5	14.10.2013	अपर परिवहन आयुक्त, विभाग, बिहार, पटना।
6	15.10.2013	संयुक्त सचिव परिवहन विभाग, बिहार, पटना।
7	16.10.2013	विशेष सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना।
8	17.10.2013	विशेष कार्य पदाधिकारी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना।
9	18.10.2013	संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना।
10	19.10.2013	विशेष कार्य पदाधिकारी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

2. संबंधित पदाधिकारी जाँच-चौकी के कार्य कलापो के संबंध में निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षण के दूसरे दिन अधोहस्ताक्षरी को अपने मंतव्य सहित समर्पित करेंगे।
3. उपरोक्त व्यवस्था 31.10.2013 तक लागू रहेगी।
4. यह आदेश तुरंत प्रभाव से प्रभावी होगी।

agreed 8/10/13
प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 5084

दिनांक, पटना 08/10/2013

- प्रतिलिपि:- 1. जिला पदाधिकारी, पटना/वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, पटना/वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 3. जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना/वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 4. सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

agreed 8/10/13
प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।